पत्र सं0–उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0–45
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना–15, दिनांक: 20 सितम्बर, 2018

विषयः– समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितिकरण के मामले में सम्यक विचारोपरान्त् अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6161, दिनांक 24.04.2015 द्वारा किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 07.08.2018 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समिति ने प्रत्येक योजना/विभाग के तहत कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में अनुशंसाएं दी। समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापांक–3/एम0–13/2018सा012534/पटना–15, दिनांक 17.09.2018 द्वारा एक संकल्प निर्गत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार के लिये उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल तीन माह के लिये विस्तारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदाता डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संबंध में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि चूँकि समिति का कार्यकाल मात्र तीन महीने के लिये विस्तारित किया गया है, अतः आप शीघ्रातिशीघ्र आपके विभाग, निदेशालय, अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना सीधे अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति को भेजते हुए इसकी एक प्रतिलिपि सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजेः–

1. प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया है, का पदनाम।
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या।
3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिये यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी?
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ')।
5. क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नहीं?
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छाया प्रति (प्रत्येक पद के लिये जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय)।
8. नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता।
10. क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अर्हता रखते थे अथवा नहीं।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।
12. नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।
13. उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिये)।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।
18. प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि।
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छाया प्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।

अनुरोध है कि विभागीय प्रधान सचिव एवं सचिव अपने स्तर पर समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन भेजे।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति